न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/30/2024	12–06–2024	02.04.2025

1–सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

2–सुबेदार पुत्र आस मोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर थाना बहीन जिला पलवल।

3–जुबेर खॉ पुत्र नूर मोहम्मद जाति मेव निवासी भीमसीका थाना बहीन जिला पलवल।

4–यूनिस पुत्र सुबेखॉ जाति मेंव निवासी सालाहेडी थाना नूहॅ जिला नूहॅ मेवात

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत डीजल 205 लीटर, पेट्रोल 170 लीटर मय कैन प्लास्टिक के को राजसात किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि ....

––:: निर्णय ::––

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत डीजल 205 लीटर, पेट्रोल 170 लीटर मय कैन प्लास्टिक को राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 21.07.2015 को सहायक पुलिस अधीक्षक मय कानि0 विजय कुमार न0 1787, कानि0 कुलबीर न0 200 मय सरकारी गाडी व चालक के वास्ते गस्त वृत कार्यालय भिवाडी से वक्त 12.15 पी.एम पर रवाना होकर गस्त करते हुऐ वक्त 1.30 पी.एम पर औधौगिक क्षैत्र मुण्डाना पहुचे जर्ये मुखबीर इतला मिली की हरियाणा की तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो में प्लास्टिक के जरिकेनो में भरकर अवैध देशी हथकड शराब आ रही है। बैलेरो में तीन व्यक्ति बैठे हुऐ है। इतला पर मन सहायक पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता अमलाकी बाधं के पास में नाकाबन्दी की गयी। वक्त 2 पी.एम पर रामपुरा मुण्डाना की तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आती हुई दिखाई दी जिसकी नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन न0 आर. जे. 40 यूए–0288 नम्बर लिखे हुए मिले जिसको रूकवाकर चैक किया गया तो गाडी में तीन आदमी बैठे मिले व बोलेरो गाडी की बीच वाली सीट पर 3 जरीकेन व गाडी में पीछे 6 प्लास्टिक के जरिकेन रखे पाये गए। बोलेरो गाडी में रखे जरिकेनो के ढक्कन को खोलकर चैक किया गया तो 4 प्लास्टिक के जरिकेनो में पैट्रोल व 5 प्लास्टिक के जरिकेनो में डीजल

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

भरा हुआ पाया गया। जिस पर बोलेरो गाडी के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम सुबेदार पुत्र आरा मौहम्मद जाति मेव निवासी जलालपुर थाना बहीन जिला पलवल व कन्डेक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम जुबैर खॉ पुत्र नूर मौहम्मद जाति मेंव निवासी भीमसीका थाना बहीन जिला पलवल व बीच की सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम यूनूस पुत्र सुबे खॉ जाति मेव निवासी सालाहेडी थाना नूह जिला नूह मेवात होना बताया गया। गाडी के चालक व उसमें बैठे व्यक्तियो से डीजल व पैट्रोल को अपने कब्जे में रखने व परिवहन के लाईसेन्स व परमिट के बारे में पूछा गया तो अपने पास में कोई लाईसेन्स व परमिट नही होना बताया गया व हरियाणा से सस्ते दामो में खरीद कर राजस्थान में अधिक पैसो में बेचना बताया गया। उक्त व्यक्तियो द्वारा डीजल व पैट्रोल को अपने कब्जे में रखना व काला बाजारी करना पाया जाने पर उक्त तीनो व्यक्तियो का यह कृत्य धारा 3/7 ईसी एक्ट की क्षैणी का डण्डनीय अपराध पाया जाने पर 170 लीटर पैट्रोल के 4 प्लास्टिक जरिकेन व 205 लीटर के भरे 5 प्लास्टिक के जरिकेन को जरिये फर्द जब्त किया गया व अभियुक्तगणो को जरिये फर्द अलग-अलग गिरफतार किया गया। जब्त शुदा डीजल व पैट्रोल के जरिकेनो को जमा माल खाना कराया गया। रिपोर्ट मु0न0 397/15 धारा 3/7 ईसी एक्ट में कायम कर तफतीश शुरू की गयी। अप्रार्थीयान द्वारा डीजल व पैट्रोल को अपने कब्जे में रखना/बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिवहन करना व काला बाजारी करना पाया जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं पैट्रोल एवं डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सप्लाई एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रटेशन) एण्ड 1998 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लधंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जप्तशुदा 170 लीटर पैट्रोल के 4 प्लास्टिक जरिकेन व 205 लीटर के भरे 5 प्लास्टिक के जरिकेन कुल 9 प्लास्टिक जरीकेन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जावे।

अप्रार्थीयान बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ, न ही उनके द्वारा जप्तशुदा सामग्री के उचित निस्तारण किये जाने हेतु कोई लिखित जवाब पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीयान के विरूद्व प्रकरण में विधिवत जॉच कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं पैट्रोल एवं डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सप्लाई एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रटेशन) एण्ड 1998 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लधंन पाये जाने पर विधिवत जॉच कर विधिवत कार्यवाही की गयी है, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा 170 लीटर पैट्रोल के 4 प्लास्टिक जरिकेन व 205 लीटर के भरे 5 प्लास्टिक के जरिकेन कुल 9 प्लास्टिक जरीकेन को सुरक्षा की दृष्टि से जमा माल खाना को सुपुर्दगी में दिया गया है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही सुनिश्चित करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला खैरथल-तिजारा

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

(राजस्थान) को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा